फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14–ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW – 226001

पत्र सं0: 258 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012–15एन0जी0/2001 दिनांक : 3 मार्च 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या: 1683–मा0सं0प्र0–(02)/उ0नि0लि0/2009–15एन0जी0/2009, दिनांक 26.08.10 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0: सा–3–78/दस–2012–301/2000टी0सी0, दिनांक 13.01.2012 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की 7(सात) प्रतिशत् की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.07.11 से 7(सात) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 51(इक्यावन) प्रतिशत की दर बढ़कर 58(अट्ठावन) प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1054–डब्लू0सी0/राविप–औ0सं0–19–14(23)एफ–85, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्यलेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5. महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2/–

<u>सं0: 258 –(1)–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर) ।
(5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(6) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ
(10) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट <u>www.uprvunl.org</u> पर अपलोड करने हेतु ।
(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(12) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/ (पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(14) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर आपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।
(15) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी0पी0 कटियार)
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–02)